33

सख्या—— /XXIV(6)/2012

प्रेषक,

डॉ0 निधि पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त नियंत्रक,
दून विश्वविद्यालय, केदारपुरम्,
देहरादून ।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 6 मार्च, 2012

विषय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के आयोजनागत् पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष तृतीय किश्त अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 312/74/एफसी–डीयू/2011 दिनांक 21,नवम्बर–2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में किए गए प्रस्तावानुसार आलोच्य वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्यय के **आयोजनागत् पक्ष** में प्राविधानित धनराशि ₹ 2600.00 लाख (₹ छब्बीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष वेतन एवं अन्य वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों यथा – कार्यालय व्यय/लेखन सामग्री/टेलीफोन/कार्यालय फर्नीचर/उपकरण, मशीनें साजसज्जा/उपकरण, विज्ञापन, प्रकाशन, कम्प्यूटर हार्डवेयर आदि के भुगतान के लिए प्रथम किश्त के रूप में ₹ 01,50,00,000.00 (₹ एक करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या : 179/xxiv(6)/2011 दिनांक 16,जून 2011 एवं द्वितीय किश्त के रूप में ₹ 02,00,00,000.00 (₹ दो करोड़ मात्र) शासनादेश संख्या :179/xxiv(6)/2011 दिनांक 10,अक्टूबर–2011 द्वारा पूर्व में ही अवमुक्त की गयी थी, इस धनराशि का पूर्ण उपयोग करने के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा किये गये प्रस्तावानुसार वेतन एवं अन्य आवश्यक अवचनबद्ध मदों में व्यय हेतु **तृतीय किश्त के रूप में ₹ 01,30,00,000.00 (₹ एक करोड़ तीस लाख मात्र)** की धनराशि अनुदान के रूप में निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही मासिक व्यय की सारिणी बनाकर नियमानुसार किया जायेगा तथा व्यय करते समय वचनबद्ध मदों को प्राथमिकता दी जायेगी । अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि व्यय नहीं की जायेगी । व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, डी0जी0एस0एण्डडी0 की दर तथा यह दर निश्चित न होने पर टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन किया जाना होगा तथा समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मितव्यतता सम्बन्धी शासनादेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना होगा, क्रय की गयी सामग्री का अंकन स्टाक रजिस्टर में किया जायेगा जिसे सम्बन्धित् अधिकारी द्वारा सत्यापित/प्रमाणित भी किया जाना होगा । कम्प्यूटर आदि के क्रय के सम्बन्ध में आई0टी0 विभाग/नवीनतम शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

3— स्वीकृत की गयी धनराशि उपनिदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा आहरित की जायेगी ।

4— स्वीकृत धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा एवं अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा ।

5— व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है ।

6— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011—12 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या 11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा—03—विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा—102—विश्वविद्यालयों को सहायता—आयोजनागत् — 05—दून विश्वविद्यालय—00—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नाम डाला जायेगा ।

7 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 410 (P)/XXVII(3)/ 2011—12 दिनॉक 01,मार्च—2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया

(डॉ0 निधि पाण्डेय)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या :166/33/XXIV(6)/2012 दिनांकित :
प्रतिलिपि निम्नलिखित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
4. उपनिदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून ।
5. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून ।
6. वित्त अनुभाग—3 उत्तराखण्ड शासन ।
7. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून ।
8. विभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(डॉ0 निधि पाण्डेय)
अपर सचिव